

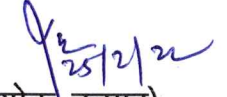
प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर खण्डवा एवं बुरहानपुर जिले में खण्डवा-अमलाखुर्द मीटर गेज को ब्राडगेज लाईन में परिवर्तन हेतु खण्डवा वन मण्डल की 6.18 हेक्टेयर वनभूमि एवं बुरहानपुर वनमण्डल की 15.31 हेक्टेयर वनभूमि कुल 21.49 हेक्टेयर वनभूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण मध्य रेलवे, अकोला महाराष्ट्र को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 25.02.2022

स्थान: भोपाल


(अशोक कुमार)
अपर सचिव (अशोक कुमार)
म.प्र. शासन वन विभाग
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)